न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–15/2026

जितेन्द्र राय – आवेदक
बनाम्
योगेन्द्र राय वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

07.03.2026

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–15/2026 मूल स्वत्व वाद सं0–202/2024 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–202/2024 जो दिनांक–25.08.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक/प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–15/2026 दाखिल किया गया है। वादी एक सेवानिवृत व्यक्ति है अचानक वादी की पत्नी की तबियत खराब होने के कारण ईलाज कराने के लिए बाहर लेकर चल गया वो कोर्ट ट्रांसफर के कारण सही तिथि वो सही कोर्ट की जानकारी नहीं होने के कारण कोर्ट में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–16.12.24 को दिए गए निर्देश का पालन नहीं हो सका। वाद खारिज होने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी। वादी बिल्कुल निर्दोष है तथा वादी की पत्नी की तबियत खराब होने के कारण नियत तिथि को उचित पैरवी नहीं कर सका जिसके कारण दिनांक–25.08.2025 को खारिज हो गया। वादी जान बूझकर गलती नहीं किया बल्कि परिस्थितिवश गलती हो गयी है। इस तरह की गलती भविष्य में पुनः नहीं होगी। अतः निवेदन है कि आवेदक का मूल नंबरी वाद संख्या–202 सन् 2024 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–15/2026 मूल स्वत्व वाद संख्या–202/2024 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद में उचित पैरवी नहीं करने के कारण दिनांक–25.08.2025 को अदम पैरवी में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदक की पत्नी का तबियत खराब हो गयी थी। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। आवेदक द्वारा उचित पैरवी नहीं करने के कारण खारिज हो गया है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल

वाद संख्या–202/2024 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–15/2026 को न्यायहित में 2500/–रूपये खर्चा के साथ मूल वाद संख्या–202/2024 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय